

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/मोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- 1026 /11सी-इटावा, दिनांक, लखनऊ, नवम्बर 05 2015

सेवा में

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
वन अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय : जनपद इटावा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-719 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-92) के किमी 59.000 से 69.850 तक (एरा0एस0पी0 चौराहे से यमुना पुल तक) सड़क चौड़ीकरण हेतु 7.7285 हे० (संरक्षित वनभूमि व आरक्षित वनभूमि) के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित वृक्षों के पालन की अनुमति।

सन्दर्भ : शासन का पत्रांक-2453/14-2-2015-800(43)/2015, दिनांक 04.11.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि इस कार्यालय के सगसंख्याक पत्र दिनांक 10.04.15 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव संस्तुति सहित प्रेषित किया गया था, जो भारत सरकार से स्वीकृत हो चुका है। उक्त प्रस्ताव पर पुनः सहमति व्यक्त की जाती है।

प्रकरण मा० मुख्यमंत्री की प्राथमिकता से सम्बन्धित है। अतएव कृपया यथाशीघ्र विज्ञापित निर्गत करने की कृपा करें।

भवदीय,

(डा० राजीव कुमार, गर्ग)
मुख्य वन संरक्षक/मोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।